

श्री साहब सिंह
झाँसी

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

संदर्भ: आपका RTI आवेदन दिनांक 20.10.2020.

उपरोक्त सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर. पी. छिबबर
समूहमहा प्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्नक: 01 पृष्ठ।



(एस. के. राय)

उप महा प्रबंधक / प्रशा. (ज.सू.अ.)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

नोट

दिनांक 02.11.2020

संदर्भ: आरटीआई आवेदन पत्र सं. 2020/एच क्यू / प्रशासन /आरटीआई-788 दिनांक 20.10.2020

उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत मांगी गई जानकारी का विवरण निम्न प्रकार हैं:

आवेदक का नाम: श्री साहब सिंह, गांव कोठेरा, पोस्ट रक्षा, झांसी-284419		
क्र. स	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1.	PET के बाद रैंक 1044 से 1106 के बीच कितने S.C. अभ्यर्थी है	कुल 12 (रैंक 1044 एवं 1106) S.C. अभ्यर्थी शामिल है।
2.	कटऑफ फाइनल में PET के बाद 46 से 50.5 तक कुल अनसिलेक्टेड अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज कितने हैं।	अभ्यर्थी द्वारा मांगे गए प्रारूप में सूचना उपलब्ध नहीं है।
3.	46 से 46.5 तक कुल कितने अभ्यर्थी हैं।	अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न स्पष्ट नहीं है।
4.	कितने PH अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में और लिया जाएगा।	संयुक्त मैरिट सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल मुख्य पैनल से किसी भी कमी के मामले में बुलाया जा सकता है।
5.	रैंक 1106 का रनिंग का समय कितना है 100 मीटर और 1000 मीटर में	अभ्यर्थी के रोल नंबर व पंजीकरण संख्या के बिना जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
6.	वेटिंग लिस्ट कितने साल तक के लिए वैलिड रहती है।	साधारणतः परिणाम जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक।
7.	वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों को रैंक वाइज या कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा	संयुक्त मैरिट सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल मुख्य पैनल से किसी भी कमी के मामले में बुलाया जा सकता है।
8.	जो अभ्यर्थी ज्वाइन करने के बाद छोड़ चुके हैं क्या उनकी सीट पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी।	नहीं
9.	2 nd फेस में ज्वाइनिंग के समय एक बैच में अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है।	यह ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता पर निर्धारित होता है, जो समय-समय पर जारी होने वाले कोविड-19 अनलॉक दिशा निर्देश एवं ट्रेनिंग सेंटर प्रशासन की अनुमति से होता है।

अमित

उप महाप्रबंधक / मा. सं.

जन सूचना अधिकारी (उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आरटीआई)